

# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

का. आ. संख्या-स्था (ले.प.)-प्रो./पर्यवेक्षक/2021-22/ख-31

दिनांक:- 01.07.2021

## कार्यालय आदेश

सुश्री मीना रजक (Ms. Meena Rajak) वरीय लेखापरीक्षक, जिन्हे कार्यालय आदेश सं. स्था (ले.प.)-प्रो./पर्यवेक्षक/2020-21/ख-100 दिनांक 17.03.2021 तथा कार्यालय आदेश सं. स्था (ले.प.)-प्रो./ स. पर्यवेक्षक/2020-21/ख-99 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा क्रमशः पर्यवेक्षक एवं सहायक पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गई थी, ने प्रोन्नति से संबन्धित कार्यालय आदेश की प्रति तथा पत्र लेने से इन्कार किया है जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रोन्नति से इन्कार समझा गया है।


सुश्री रजक पत्र लेने से इन्कार करने की तिथि दिनांक 01.04.2021 से पर्यवेक्षक एवं सहायक पर्यवेक्षक संवर्ग मे अगले एक वर्ष तक अथवा अगली रिक्ति होने तक (जो भी बाद मे हो ) प्रोन्नति के हकदार नही होंगी।

ह./-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
2. सभी स्कन्ध अधिकारी, स्थानीय
3. वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी - ए.एम.जी.-II
4. वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी - दावा - I, दावा - II एवं ए.एम.एस.
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा) स्थानीय
6. संबन्धित व्यक्ति :-
7. सूचना पट्ट/ कार्यालय आदेश संचिका

  
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन)